"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012- 2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199] रायपुर, मंगलवार दिनांक 21 मई 2013—वैशाख 31, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, दाऊ कल्याण सिंह भवन के समीप, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 20 मई 2013

क्रमांक एफ-73/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/553.—दिनांक 20 मई 2013 को नगरपालिका परिषद् भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार, छ.ग. के 1 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-73/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. उतरी कुमार जांगड़े, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगरपालिका परिषद् भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार, छ.ग.

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगरपालिकाअधिनियम, 1961 को धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 20 मई 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित रायपुर (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद् भाटापारा के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 4 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 22 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पालिका परिषद् भाटापारा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी उतरी कुमारी जांगड़े द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाली अभ्यर्थी उतरी कुमार जांगड़े को दिनांक 12 मार्च 2010 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जो तामील नहीं हो सका. पुनः दिनांक 30 मार्च 2011 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 11 अप्रैल 2011 को सम्यक् रूप से तामील की गई. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी द्वारा अपना जवाब दिनांक 19 अप्रैल 2011 आयोग को प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा अपने निर्वाचन अभिकर्ता श्री हेमन्त यादव को जमा करने हेतु दिया था. उनके द्वारा आय व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया और दिनांक 28 जनवरी 2010 को यह कहते हुए वापस कर दिया कि नोटरी से शपथ पत्र कराकर अभ्यर्थी स्वयं जमा करें. इस पर उनके द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2010 को शपथ नोटरी से सत्यापित कराकर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा किया गया. उन्हें अस्वस्थ होने के कारण 30 दिन की निर्धारित समयावधि दिनांक 26 जनवरी 2010 को पूर्ण होने का ज्ञान नहीं था. जिसमे फलस्वरूप आय व्यय लेखा प्रस्तुत करने में 2 दिनों का विलंब हो गया है. जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा क्षमा का निवेदन किया गया. अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अपने ज्ञापन क्रमांक 543, दिनांक 24 जनवरी 2012 में अभिमत दिया है कि अभ्यर्थी उतरी कुमारी जांगड़े द्वारा अस्वस्थता के संबंध में अधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है. उन्होंने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में अस्वस्थ रहने तथा 30 दिनों की समय-सीमा के अन्दर व्यय लेखा जमा किये जाने की जानकारी नहीं होने संबंधी कारण ग्राह्य योग्य नहीं है. इस पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें दिनांक 13 दिसम्बर 2012 को आयोग में आहूत किया गया एवं उनका शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. जिसमें उन्होंने दोहराया कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे अपना निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 29 जनवरी 2010 को जमा कर पायी थी. जिस डाक्टर से उन्होंने इलाज करायी थी एवं जिसकी पर्ची जिला निर्वाचन कार्यालय में अन्य कागजात के साथ प्रस्तुत की थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है. अभ्यर्थी के शपथपूर्वक बयान के संबंध में निर्वाचन कार्यालय से यह जानकारी मंगाई गई कि यदि अभ्यर्थी द्वारा चिकित्सा संबंधी पर्ची निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत की गई है तो उसकी प्रति आयोग को प्रेषित की जाये. आयोग के उक्त पत्र के सन्दर्भ में निर्वाचन कार्यालय द्वारा उनके ज्ञापन क्रमांक 139 दिनांक 3 अप्रैल 2013 द्वारा सूचित किया गया कि अभ्यर्थी उतरी कुमार जांगड़े द्वारा निर्वाचन कार्यालय को चिकित्सा संबंधी पर्ची प्रस्तुत नहीं की गई है.

4. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी उतरी कुमारी जांगड़े ने निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षा के अनुरूप

नहीं है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. चूंकि 26 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश का दिन था; अत: उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि निर्वाचन अधिकारी ने इसे अपने प्रतिवेदन में दिनांक 26 जनवरी 2012 उल्लेखित किया है.

5. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं शपथपूर्वक बयान तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद् भाटापारा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न दाखिल कर विलंब से दिनांक 29 जनवरी 2010 को प्रस्तुत किया है. विलंब का कारण उन्होंने अपनी अस्वस्थता तथा निर्धारित समय-सीमा की अंतिम तारीख का ज्ञान न होना बताया है. अभ्यर्थी ने अपनी अस्वस्थता के संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया. अभ्यर्थी ने अपने शपथपूर्वक बयान में दर्शाया है कि जिस डॉक्टर से उन्होंने इलाज कराया था उसकी पर्ची जिला कार्यालय में अन्य कागजात के साथ प्रस्तुत की थी, उस डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी है. इस सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी कि अभ्यर्थी के द्वारा चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया. अभ्यर्थी के द्वारा कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई और न ही निर्वाचन अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने की पुष्टि की गई है. इस स्थिति में अभ्यर्थी की चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने संबंधी दलील स्वीकार योग्य नहीं है. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही है तथा अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती है. अधिनियम की धारा 32-ग में बिना अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए निरर्हित करने का प्रावधान है. लेकिन विद्यमान परिस्थिति में तीन वर्ष की कालावधि हेतु निरर्हित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी उत्तरी कुमार जांगड़े को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 20 मई 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.